छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त–2025/02

दिनांक 10 जुलाई, 2025, को अपराह्न 03:30 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में कार्य परिषद की 2025/02वीं आपात बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1.	**प्रो० विनय कुमार पाठक** कुलपति, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	अध्यक्ष
2.	**प्रो० सुधीर कुमार अवस्थी** प्रति–कुलपति, डीन, लाइफ सांइस, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	**मा0 न्यायमूर्ति श्रीकांत त्रिपाठी, (से0नि0)** (सदस्य न्यायिक) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, निवास–2/146–डी0 विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य
4.	**प्रो0 शलभ** डीन एकेडमिक अफेयर्स, इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर–208016।	सदस्य
5.	**डॉ0 उमेश पालीवाल** एम0डी0, पालीवाल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, निवास–117/एच0– 1/ 02, पाण्डु नगर, कानपुर– 208005।	सदस्य
6.	**प्रो० कैलाश नाथ मिश्रा** संकायाध्यक्ष–वाणिज्य, अर्मापुर पी०जी० कालेज, अर्मापुर, कानपुर।	सदस्य
7.	**डा० महेन्द्र सिंह** प्राचार्य, के०के० कालेज, इटावा।	सदस्य
8.	**डा० जयवीर सिंह,** प्राचार्य, नेहरू कालेज, छिबरामऊ, कन्नौज। प्राचार्य, के०के० कालेज, इटावा।	सदस्य
9.	**प्रो० अंशु यादव** आचार्या, एस०बी०एम०, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय कानपुर।	सदस्या
10.	**प्रो० संदीप कुमार सिंह** आचार्य, लाइफ लॉग लर्निंग एण्ड एक्सटेंशन विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
11.	**डॉ० पंकज द्विवेदी** सह–आचार्य, विधि विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य
12.	**डा० गोपाल सिंह** सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्य

13.	**डॉ० पुष्पा ममोरिया** सह–आचार्या, यू०आई०ई०टी०, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सदस्या
14.	**डा० निशी प्रकाश सक्सेना,** सह–आचार्या, समाजशास्त्र, एस०एन०सेन बालिका महाविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
15.	**डा० मंजू लता द्विवेदी** सह–आचार्या, इकोनॉमिक्स, वी०एस०एस०डी० कालेज, नवाबगंज कानपुर।	सदस्या
16.	**श्री राकेश कुमार** कुलसचिव / परीक्षा नियत्रंक, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर।	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा माननीय कार्य परिषद में नवनियुक्त सदस्यों डा० महेन्द्र सिंह, डा० मनोज गर्ग एवं डा० जयवीर सिंह तथा उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यकाल समाप्त कर चुके सदस्य, प्रो० अमर श्रीवास्तव, प्रो० विपिन कौशिक तथा प्रो० रवि कुमार एवं प्रो० नीरज कुमार सिंह का उनके योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरम्भ की गयी, जिसमें कार्यपरिषद के आपात विचारणीय बिन्दु डा० प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य, अटल बिहारी बाजपेयी लीगल स्टडीज द्वारा उन्हें आवंटित ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में की गयी कथित अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

डा0 प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य, अटल बिहारी बाजपेयी लीगल स्टडीज द्वारा स्वयं को आवंटित ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन स्वयं न करके अपना यह कार्य अपनी लॉगिन आईडी से अपनी शोध छात्रा सुश्री बिमला सिंह के लैपटॉप पर लॉगिन कर उनसे कराया गया। इससे सम्बन्धित वीडियो वायरल होने के प्रकरण की जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नानुसार एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया गयाः–

1. प्रो0 बृष्टि मित्रा, डीन, एकेडमिक
2. डा0 पंकज द्विवदी, निदेशक स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज।
3. डा0 बी0पी0 सिंह, यू0आई0ई0टी0
4. डॉ0 गोपाल सिंह, स्कूल ऑफ एजूकेशन।

प्रकरण में जांच समिति द्वारा निम्नवत् आख्या दी गयीः–

According to Point No 17.0.1, of the Code of Professional Ethics for teachers as mentioned in the University Grants Commission Notification dated 18th July, 2018 (available on University website), a teacher is expected to "Perform their duties in the form of teaching, tutorials, practicals, seminars and research work, conscientiously and with dedication" and "Discourage and not indulge in plagiarism and other non-ethical behaviour in teaching and research," Dr. Pramod Kumar's action of asking his PhD scholar to evaluate some of the answer scripts allotted to him, is non-ethical and he did not perform his duties as per the UGC Regulation.

जांच समिति की उक्त आख्या को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के प्राविधानानुसार गठित अनुशासनात्मक समिति को संदर्भित किया गया। अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 08.07.2025 में समिति द्वारा प्रकरण पर निम्नवत् संस्तुति की गयीः–

"डा0 प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य, अटल बिहारी बाजपेयी लीगल स्टडीज को निलम्बित करने एवं इनके विरूद्ध अग्रेतर जांच करने की संस्तुति करती है।"

इस सम्बन्ध में शोध छात्रा सुश्री बिमला सिंह के उक्त अनाधिकृत कृत्य के सम्बन्ध में अधिष्ठाता, शोध एवं विकास द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भी विचार–विमर्श किया गया।

अनुशासनात्मक समिति की संस्तुति के आलोक में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत हुआ। माननीय कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण पर व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

1. डा0 प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य, अटल बिहारी बाजपेयी लीगल स्टडीज को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये इनके विरूद्ध अग्रेत्तर जांच हेतु प्रकरण विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम संख्या– 8.02 (1)(b) के अन्तर्गत अनुशासनात्क समिति को संदर्भित किया जाय।
2. शोध छात्रा द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में माननीय कार्यपरिषद के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री श्रीकान्त त्रिपाठी एवं प्रो० शलभ द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि शोध छात्रा द्वारा उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन किये जाने का कार्य उसके शोध पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किया गया और सामान्यतया कोई भी शोध छात्र अपने पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे गये कार्य को मना नहीं करता है, इसलिये शोध छात्रा का दोष कम है, परन्तु यदि शोध छात्रा द्वारा अपने लैपटॉप पर डा0 प्रमोद कुमार की आईडी लॉगिन कर उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का वीडियो वायरल किया गया है तो वह अवश्य ही कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने से पूर्व प्रकरण पर गहनता से जांच आवश्यक है और जांच हेतु निम्नानुसार एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गयाः–
   (i) प्रति–कुलपति।
   (ii) डा० राकेश कुमार शर्मा, सह–आचार्य, लाइफ साइंस डिपार्टमेंट।
   (iii) डा० नमिता तिवारी, अधिष्ठाता, शोध एवं विकास।
   (iv) डा0 पुष्पा ममोरिया, सह–आचार्या, यू०आई०ई०टी०।

   समिति भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के आवश्यक उपायों पर भी सुझाव देगी। समिति की संस्तुति पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।
3. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कैसे पारदर्शी ढंग से हो सकता है? इस बिन्दु पर संस्तुति देने के लिये निम्नानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया–
   (i) प्रो० अंशू यादव, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
   (ii) प्रो० संदीप कुमार सिंह, निदेशक, आईक्यूएसी।
   (iii) प्रो० बृष्टि मित्रा, डीन, एकेडमिक्स।
   (iv) डा० बी०पी० सिंह, परीक्षा प्रभारी, विश्वविद्यालय परिसर।

4. शोध पर्यवेक्षक एवं शोधार्थियों के लिए नैतिक–आचार संहिता को निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने के लिये निम्नानुसार एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया:–

(i) प्रति–कुलपति।

(ii) प्रो० बृष्टि मित्रा, डीन, एकेडमिक्स।

(iii) डा० नमिता तिवारी, डीन, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट।

(iv) डा० राकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट डीन, कैम्पस रिसर्च प्रोमोशन सेल।

अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

10/07/2025

(राकेश कुमार)
कुलसचिव / सचिव

प्रो०(विनय कुमार पाठक)
कुलपति / अध्यक्ष

कार्यालय पत्रांक: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सा.प्रशा. / 521 / 2025, दिनांक 10.07.2025

प्रतिलिपि: 1. मा0 सदस्यगण–कार्यपरिषद की सेवा में सादर सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

10/07/20

(राकेश कुमार)
कुलसचिव / सचिव